

फर्द अहकाम
बनाम अर्जुन

न्यायालय A-C-II
संख्या 11/No-63/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज या कार्यवाही

पञ्जावली आज दिनांक 21/12/24 को
पञ्जावली को पञ्जावली-आजा/काजी-प्रतिवादी
के नाम पर पञ्जावली का पञ्जावली/पञ्जावली
का पञ्जावली/पञ्जावली/पञ्जावली
का पञ्जावली से दिनांक 07/11/24 पर था।

आज दि 21/12/24 को पञ्जावली पेश हुई।
उपरोक्त पञ्जावली को कलर्स/कार्य
कार/कार्यवाही लिये जाने के कारण,
न्यायिक कार्यवाही को रोक दिया। पी.ओ.स.
को दिनांक 07/11/24 पर पेश था।
पञ्जावली दिनांक 3/12/24 को पेश हुई।

3/12/24

पञ्जावली-पेश हुई। वकील छापीलिय
अपनी कानून की मदद से कार्यवाही को रोकने
का प्रयास कर रहे हैं। न्यायिक कार्यवाही को
रोकने के लिए पेश किया। वकील
छापूरी की कानून की मदद से कार्यवाही को रोकने
का प्रयास कर रहे हैं। दिनांक 3/12/24 को पेश हुई।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

09/12/24

पञ्जावली-पेश हुई। वकील उमरपुत्रा उप
पञ्जावली का अप्रस्तावणात व मूलकांड
अपलोड किया गया। मूलकांड जाबत
तकाममा देल पेश किया गया है। जिसमें
अंतिम निर्णय पारित किया जाना शेष है।
अस्थाई निषेधाज्ञा के बिना पट प्रथम
दृष्टा प्रमाण सुविधा का अनुमति
अपुनीय वृत्ति प्रायः के पट में व्यनता
प्रतीत होगा है। अतः प्रायः का प्रायः।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

फर्द अहकाम
बनाम अर्जुन

न्यायालय A-C-II

संख्या 11/No-63/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज या कार्यवाही

पञ्जावली-पेश हुई। वकील उमरपुत्रा उप
पञ्जावली का अप्रस्तावणात व मूलकांड
अपलोड किया गया। मूलकांड जाबत
तकाममा देल पेश किया गया है। जिसमें
अंतिम निर्णय पारित किया जाना शेष है।
अस्थाई निषेधाज्ञा के बिना पट प्रथम
दृष्टा प्रमाण सुविधा का अनुमति
अपुनीय वृत्ति प्रायः के पट में व्यनता
प्रतीत होगा है। अतः प्रायः का प्रायः।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर